न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2023

1. रामजीलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी, रेटा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. रामनारायण पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी, रेटा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. गोपाल पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी, रेटा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

(निगरानीकार)

बनाम

1. देशराज चौधरी पुत्र श्रवणलाल देगडा जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी रेटा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत रसीली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रसीली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

(रेस्पोडेन्टस)

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम विरूद्ध संकल्प संख्या 3, पट्टा संख्या 72 दिनांक 06.12.2021 ग्राम पंचायत रसीली द्वारा जारी किया गया के विरूद्ध

1. श्री विनोद कुमार जैन विद्वान अधिवक्ता, निगरानीकार।
2. श्री कन्हैया लाल माली विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

निर्णय दिनांक :– 02.07.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रसीली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जे की भूमि रही है। जिसमें प्रार्थीगण का पुश्तैनी बाडा बना हुआ है बाडे में कच्चा मकान बना हुआ है जिसके चद्दर लगे हुये है जिसके चारों तरफ कच्ची डोल व बाड लगी हुई है जिसकी सीमाये निम्न प्रकार से है पूर्व में शिव मंदिर व आम चौक, पश्चिम में रामनारायण जी का बाडा, उत्तर में आम रास्ता 13 फीट व श्रवण, रामजीलाल, रामनारायण, गोपाल की खातेदारी भूमि में बाडा, दक्षिण में गोपाल का बाडा 13 फीट, रामनारायण, रामजीलाल का रास्ता उक्त सीमाओं में प्रार्थीगण का बाडा, कच्चा मकान है जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है जो आवासीय मकानों के साथ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग में लेते चले आ रहे है जिसका अप्रार्थी ने अपने स्वत्व व आधिपत्य का गलत रूप से दर्शाते हुये गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत सरपंच से मिलीभगत करते हुये प्रार्थीगण की बाडे व उपयोग की भूमि को हडप करने हेतु पट्टा संख्या 72 तैयार करवा लिया जबकि अप्रार्थीयों का भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं है न उसके स्वत्व व आधिपत्य की है तथाकथित पट्टे की भूमि को प्रार्थीगण ने पूर्व कब्जाधारियों से क्रय किया है जब से प्रार्थीगण मौके पर काबिज रहकर उपयोग में लेते चले आ रहे है। उक्त तथाकथित पट्टेशुदा भूमि पूर्व में हीरालाल, कैलाश, श्योजी पिता बालूराम जाट निवासी रेटा के कब्जे की भूमि थी तथा शेष भूमि अन्य कब्जेधारियों की थी जिसको प्रार्थीगण ने क्रय कर लिया और उक्त भूमि पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है जिसका अप्रार्थीयां संख्या 1 ने तथाकथित पट्टा सरपंच से मिलीभगत करते हुये पोशिदा कार्यवाही के जरिये प्राप्त कर लिया है। ग्राम रसीली के सरपंच ने दिनांक 06.12.2021 को पट्टा संख्या 72 जारी किया जो बिना प्रस्ताव, बिना पंचों की सहमति व बिना नियम कानून कायदे के जारी किया है। जिस तरीके से अनुमोदन किया गया वह कानूनी नियमों के खिलाफ था क्योंकि ना तो कोई ग्राम सभा आयोजित की गई और ग्राम सभा के मुताबिक उस कोरम में जितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिऐ थे ना तो उनकी उपस्थिति थी ना ही उनके हस्ताक्षर थे पूरी तरह से इस पट्टे के संबंध में सरपंच ने फर्जी व पोशिदा कार्यवाही की जो पंचायत अधिनियम के खिलाफ थी। क्योंकि दुकान, भूखण्ड व आवासीय पट्टों के संबंध में पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं हुयी और पंचायत एक्ट के नियम 255 व 265 की कोई पालना नहीं करते हुये पट्टा जारी किया गया। पट्टेधारी ने प्रार्थीगण को उनकी कब्जेशुदा भूमि से हाल ही में बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दी है कि मेरे पास उक्त भूमि का पट्टा है इससे तुम अपना कब्जा हटा लो वरना में लठ के जोर से उक्त भूमि पर कब्जा कर लूंगी जिससे प्रार्थीगण को श्रीमान् के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। जिस जगह का पट्टा जारी किया गया वह जगह पूर्व से ही प्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रही थी लेकिन सरपंच ने बिना मौका व बिना रिकॉर्ड की जांच किये ही पट्टा संख्या 72 जारी किया है। पट्टा जारी दिनांक 06.12.2021 से पूर्व कब्जा न होते हुये भी सरपंच ने पट्टा जारी किया है उस भूमि पर न तो पट्टाधारियों का पूर्व में कब्जा था न ही वर्तमान में है। निगरानी के लिए कोई मियाद अधिनियम सीमा निश्चित नहीं है फिर भी कानूनी बिन्दू के लिये धारा 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निगरानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत रसीली द्वारा जारी किया गया संकल्प संख्या 3, पट्टा संख्या 72 दिनांक 06.12.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्टस की तलबी जारी की गई तलबी के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर गैरनिगरानीकार के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 03.01.2024 को गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल माली ने वकालतनामा व प्रा0पत्र ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी पेश किया। निगरानीकार वकील द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रा0पत्र ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.12.2021 को पट्टा संख्या 72 ग्राम पंचायत रसीली द्वारा विधि अनुरूप पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। निगरानीकार का कोई कब्जा ही पट्टे शुदा भूमि पर नहीं रहा तो कब्जे से बेदखल का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रारम्भ से गैर निगरानीकार के कब्जे शुदा एवं परिवारजनों की कब्जे शुदा भूमि रही है। जिसका किसी दीगर व्यक्ति से संबंध सरोकार नहीं रहा है। निगरानीकार गणों का कभी भी पट्टे शुदा भूमि से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

संबंध एवं सरोकार नहीं रहा है तथा ना ही कोई कब्जा रहा है उक्त पट्टे शुदा भूमि गैर निगरानीकार संख्या 1 के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि रही है जिस पर पूर्व कब्जा बुजुर्गो परिवारजनों तत्पश्चात आधिपत्य की भूमि रही है जिस पर शांतिपूर्वक निर्बाध पूर्वक गैरनिगरानीकार चला आ रहा है इसलिए पूर्व मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा जारी किया गया है। पट्टेशुदा भूमि का पंजीयन उपपंजीयक मौजमाबाद द्वारा करवाया जा चुका है इसलिये प्रस्तुत प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा असीमित अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। निगरानीकारान जिनका कोई संबंध गैर निगरानीकार संख्या 1 की पट्टे शुदा भूमि से नहीं रहा तथा स्वयं निगरानीकार द्वारा अपने कथनों में एक तरफ पुश्तैनी दर्ज करते है तथा पूर्व निगरानीकारियों से क्रय करना बताते है इसलिये निगरानी में कथन/अभिवचन अस्पष्ट, संदिग्ध, अधूरे व मिथ्या भाषी है जिससे प्रार्थीगण कोई लाभ प्राप्त करने की कुचेष्टा के साथ निगरानी पेश की गई है। पट्टेशुदा भूमि जिसका पंजीयन भी उप पंजयीक महोदय मौजमाबाद के समक्ष दिनांक 22.06.2023 को करवाया जा चुका है इसलिये भी निगरानी प्रस्तुत करने संबंधित प्रावधान लागु नहीं होते है तथा निगरानी खारिज योग्य है। प्रस्तुत निगरानी में उप पंजीयक को जानबुझकर पक्षकार कायम नहीं किया गया है। इसलिये नेसेसरी पार्टीज का अहम नुक्श होने के कारण निगरानी खारिज योग्य है। गैरनिगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टे के बाबत किसी प्रकार का कोई हित बाध्यता निगरानीकार एवं दीगर व्यतियों की नहीं रही है तथा उपयोग–उपभोग गैर निगरानीकर द्वारा किया जाता रहा है वर्तमान में गैरनिगरानीकर अपनी जाती जरूरतों के हिसाब से रोज मर्रा के उपयोगी कार्यो भूमि पर काबिज होकर फायदा लेता आ रहा है इसलिये निगरानी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील निगरानीकार ने बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि परिवार में सगे भाई साथ में निवास करते थे विवादित भूमि कब्जे की रही है। विवादित भूमि की सीमाएँ पूर्व में शिव मंदिर व आम चौक, पश्चिम में रामनारायण जी का बाडा, उत्तर में आम रास्ता 13 फीट व श्रवण, रामजीलाल, रामनारायण, गोपाल की खातेदारी भूमि में बाडा, दक्षिण में गोपाल का बाडा 13 फीट, रामनारायण, रामजीलाल का रास्ता है। बाडे है व कब्जे व उपयोग की भूमि है। श्रवण लाल ने पूर्व स्वामित्वधारी से परचेज की थी। ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा अनुसार पट्टे नहीं दिये गये है। निगरानीकार उक्त भूमि को उपयोग–उपभोग में ले रहे है। लेनदेन के डिस्पुट होने पर देशराज अलग हो गया था। देशराज ने बिना सुचना के अपने व अपनी पत्नी के नाम से ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करवा लिया। स्वामित्व के संबंध में ग्राम पंचायत ने मौका स्थिति नहीं देखी पंचायत ने यह भी नहीं देखा कि भूमि पुश्तैनी भी थी या नहीं। पट्टा रूल्स का फॉलों नहीं किया गया तथा मौका रिपार्ट पर पडोसियों के भी हस्ताक्षर नही है। सरसरी तौर पर तीन पंचों के हस्ताक्षर है ग्राम सभा में दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावें। गैर निगरानी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रजिस्टर्ड पट्टे को रद्द नहीं किया जा सकता है। सिविल कोर्ट को पॉवर है। निगरानीकार कभी भूमि को पुश्तैनी बताता है तो कभी क्रय करना बताता है। निगरानीकार द्वारा पट्टे के संबंध में कोई भी आपत्ति पेश नहीं की गई है। ग्राम पंचायत रसीली द्वारा विधि अनुसार पट्टे के संबंध में कार्यवाही की गई है। निगरानीकार ने ना तो सिजरा पेश किया है और ना ही कोई ऐसा साक्ष्य दस्तावेज पेश किया है कि उक्त भूमि जोईन्ट लैंड थी और न ही पजेशन को साबित किया है। निगरानीकार के कथन मिथ्याभाषी है। निगरानी पोषणीय नहीं है अतः उक्त निगरानी खारिज फरमायी जावें।

Scanned with OKEN Scanner

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रसीली की पत्रावली का अवलोकन किया तथा संबंधित कानून के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रसीली की मूल पत्रावली के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा आवेदन पत्र पर कौरम में विचार विमर्श के बाद तीन वार्ड पंचो की उपस्थिति में स्थल का मौका निरीक्षण करवाया गया है। वार्ड पंचो ने अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 को आवेदित स्थल का विक्रय करने में कोई आपत्ति नहीं। नियमानुसार पट्टा जारी किया जावें। अप्रार्थी का पुराना कब्जा है। ग्राम पंचायत रसीली ने सात दिवस का आपत्ति नोटिस जारी किया है। उसके पश्चात फैसला फॉर्म दिनांक 06.12.2021 को ग्राम पंचायत कौरम के अनुमोदन पश्चात संकल्प संख्या 03 दिनांक 06.12.2021 द्वारा पट्टा संख्या 72 दिनांक 06.12.2021 पट्टा शुल्क रसीद संख्या 13 दिनांक 06.12.2021 200 रूपये वसूल कर पट्टा जारी किया है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का विधिक त्रूटी होना नही पाई गई है। निगरानीधीन पट्टे में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रसीली का निर्णय दिनांक 06.12.2021 यथावत रखा जाता है। पट्टे की सीमा से बाहर यदि कोई अतिक्रमण पाया जावें तो उसके लिए ग्राम पंचायत रसीली निमयानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी के निगरानी में वर्णित तथ्य साबित नही होने से प्रार्थी की निगरानी धारा 97 पंचायत राज अधिनियम खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner